

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 434] No. 434] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2017

का.आ. 478(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 2011 जिसे का.आ. संख्या 1930 (अ), तारीख 31.05.2016 द्वारा संशोधित किया गया था, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.000 कि.मी. से 223.210 कि.मी. (लाडनू—खाटू—देगना—मेरटाशहर—लाम्बिया—जयतारन—रायपुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है:

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गें के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015,सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का. नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर 2016 द्वारा संशोधन किए गए थे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय—समय पर यथा—संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है)। के नियम 3 के साथ पिटत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.000 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 0.000 कि.मी.) से 139.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 144.377 कि.मी.) तक पेव्ह शोल्डर्स सिहत निम्बीजोधा (लाडनू के निकट)—देगना—मेरटा शहर सेक्शन के दो लेन सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 106.136 कि.मी. के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) के 60%की दर पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 21.862 कि.मी. (0.102 कि.मी. की संरचना को छोड़कर (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) जिनकी समकक्ष लम्बाई 1.020 कि.मी. है है, हेत् नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट

867 GI/2017 (1)

आधार दरों के 90%की दर पर एतद्द्वारा शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या	3.45
बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा—458 के नागौर जिले में बंथाडी गांव के पास 34.000 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 33.831 कि.मी.) पर	57.608	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
रारा—458 के नागौर जिले में तमडोली गांव के पास 93.500 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 94.275 कि.मी.) पर	48.528	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बा		
(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)		जिसके लिए अतिरिक्त		शुल्क सदय ह
अपस्थान (यनज)		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड रुपए	
		^ਜ)	(करोड़ रुपए में)	
रारा–458 के नागौर	रारा–458 के छोटी खाटू बाइपास के 44.	2.600	11.25	
जिले में बंथाडी गांव	600 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज			
के पास, 34.000	४४.६९० कि.मी.) पर शुरू होकर और			
कि.मी. डिजाइन चैनेज	डिजाइन चैनेज 47.200 कि.मी. (विद्यमान			
(विद्यमान चैनेज	चैनेज 47.740 कि.मी.) पर मिलते हुए			आधार दरों का

33.831 कि.मी.) पर	रारा—458 के बड़ी खाटू बाइपास के 49.058 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 49.600 कि.मी.) पर शुरू होकर और डिजाइन चैनेज 52.900 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 52.700 कि.मी.) पर मिलते हुए		16.88	90% (अर्थात् ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों के 60% का 1.5 गुना)
रारा—458 के नागौर जिले में तमडोली गांव के पास, 93. 500 कि.मी. डिजाइन चैनेज	रारा—458 के देगना बाइपास के 89.900 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 90.285 कि.मी.) पर शुरू होकर और 91. 340 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 92.115 कि.मी.) पर मिलते हुए	में दर्शाई गई 0.102 कि.मी. की संरचना को छोड़कर)	33.57	
(विद्यमान चैनेज 94.275 कि.मी.) पर	रारा—458 के इदवा बाइपास के 100.590 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 101.200 कि.मी.) से शुरू होकर और 105.900 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 106.093 कि.मी.) पर मिलते हुए	5.310	23.13	आधार दरों का 90 प्रतिशत (अर्थात् ऊपर सारणी—1) में उल्लिखित आधार
	रारा—458 के बग्गाद बाइपास के 113.420 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 113.600 कि.मी.) पर शुरू होकर और 116.510 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 116.400 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.090	10.41	दरों का 60 प्रतिशत का 1.5 गुना)
	रारा—458 के मेरटा शहर बाइपास के 134.218 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 134.500 कि.मी.) से शुरू होकर और 139.900 कि.मी. डिजाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 144.377 कि.मी.) पर मिलते हुए	5.682	25.00	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिएऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित		दर जिस पर
	किए जाने हेतु *संरचनाओंकी लम्बाई (कि.मी. में)	लम्बाइ (कि.मी. म)	शुल्क संदेय है
	(/		
रारा–458 के नागौर जिले में तमडोली गांव	0.102 कि.मी.	1.020	उपयेक्त
के पास 93.500 कि.मी. डिजाइन चैनेज			सारणी—1 में
(विद्यमान चैनेज ९४.२७५ कि.मी.) पर			उल्लिखित
,			आधार दरों का
			60%
	कुल लम्बाई	1.020	

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम	,		
संख्या	चैनेर	ज (कि.मी.)	लम्बाई (कि.मी.)
	से	तक	
1	90.652	90.754	0.102
	योग 0.102		

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2016—17 के लिए मासिक पास की दर 235.00 रूपए (दो सौ पैंतीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बह्यात्राओं हेत् पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं	विधिमान्यता की अवधि
	की अधिकतम संख्या	
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि	पचास	संदाय की तारीख से एक मास
का दो–तिहाई		

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50: होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
- 10.. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 300.960 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन—उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40: कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 780 / सीओ / 16—17 / जीसी निम्बीजोधा—देगना—मेरटा शहर सेक्शन] दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 478(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2572 (E) dated 14th November 2011 and amended vide S.O. No. 1930(E) dated 31.05.2016 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 223.210 (Ladnu-Khatu-Degna-Merta City-Lambia-Jaitaran-Raipur Section) of National Highway No. 458 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R 585(E) dated 08th June, 2016 and G.S.R 1114 (E) dated 2nd December, 2016 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 106.136 km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the Two Lane with paved shoulders section on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below and bypasses having a length of 21.862 km {excluding 0.102 Km of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.020 km} at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Nimbijodha (near Ladnu)- Degna-Merta City Section from km 0.000 (Existing Ch. Km. 0.000) to km 139.900 (Existing Ch. Km. 144.377) of National Highway number 458 in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the
	base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment	3.45
(EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which	Rate at which fee is
	Fee is payable	payable
At km 34.000, design chainage (at km. 33.831,	57.608	60% of the base rates
existing chainage) near village Banthadi in Nagaur		mentioned in Table-1
district of NH-458		above
At km 93.500, design chainage (at km. 94.275,	48.528	60% of the base rates
existing chainage) near village Tamdoli in Nagaur		mentioned in Table-1
district of NH-458		above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza:

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable Length (in Km.) Cost (in Rs. Crore)		Rate at which fee is payable	
At km 34.000, design chainage (at km. 33.831, existing chainage) near village	Choti Khatu Bypass taking off at design chainage km 44.600 (Existing Chainage km 44.690) and merging at design chainage km 47.200 (Existing Chainage km 47.740) of NH-458.	2.600	11.25	
Banthadi in Nagaur district of NH-458	Badi Khatu Bypass taking off at design chainage km 49.058 (Existing Chainage km 49.600) and merging at design chainage km 52.900 (Existing Chainage km 52.700) of NH-458.	3.842	16.88	000/ of the
At km 93.500, design chainage (at km. 94.275, existing chainage) near village Tamdoli in Nagaur district of NH-458	Degana Bypass taking off at design chainage km 89.900 (Existing Chainage km 90.285) and merging at design chainage km 91.340 (Existing Chainage km 92.115) of NH-458.	1.338 (excl. 0.102 km of structures indicated in Para-3 below)	33.57	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above 90% of the
	Idwa Bypass taking off at design chainage km 100.590 (Existing Chainage km 101.200) and merging at design chainage km 105.900 (Existing Chainage km 106.093) of NH-458.	5.310	23.13	base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above
	Baggad Bypass taking off at design chainage km 113.420 (Existing Chainage km 113.600) and merging at design chainage km 116.510 (Existing Chainage km 116.400) of NH-458.	3.090	10.41	Table-1 above
	Merta City Bypass taking off at design chainage km 134.218 (Existing Chainage km 134.500) and merging at design chainage km 139.900 (Existing Chainage km 144.377) of NH-458.	5.682	25.00	

^{3.} In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures*	Equivalent	Rate at which fee is
	(in km) to be	Road length	payable
	converted into	(in km)	
	equivalent road length		
At km 93.500, design chainage (at km.	0.102 Km.	1.020	60% of the base rates
94.275, existing chainage) near village			mentioned in Table-1
Tamdoli in Nagaur district of NH-458			above
	Total length	1.020	

^{*}Details of structure having length more than 60m is as under:

Structure having length more than 60 m			
S. No.	Chainage (Km.)		Length (Km.)
	From	То	
1	90.652	90.754	0.102
	Total 0.102		

- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 235.00 (Rupees Two Hundred Thirty Five only) for the year 2016-17 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
- 5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number	Period of validity
	of one way journeys	
	allowed	
One and half times of the fee for one	Two	Twenty four hours from the time of
way journey		payment
Two-third of amount of the fee payable	Fifty	One month from date of payment
for fifty single journeys		

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 300.960 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/780/CO/16-17/GC Nimbijodha-Degana-Merta City Section] DAKSHITA DAS, Jt. Secy.